कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

सुपारी लेकर हत्याऐं करने वाला सीरियल किलर गिरफ्तार
आधे दर्जन से ज्यादा हत्याऐं कबूली

जयपुर 3 अगस्त। अलवर के थाना खैरथल पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछा कर प्राप्त आसूचनाओं के आधार पर सुपारी लेकर हत्याऐं करने वाला सीरियल किलर को गिरफ्तार कर आधे दर्जन से ज्यादा हत्याऐं करना कबूली कराने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि जिले में मिल रही अज्ञात लाशों के सम्बन्ध में पता लगाने के लिए श्री जितेन्द्र सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना खैरथल ने अपने मुखबिरों का जाल बिछाया मुखबिरों से प्राप्त आसूचनाओं के आधार पर तथ्य मिले कि गांव नांगल संतोकड़ा के मुन्ना उर्फ मुनेश गुर्जर एक साल से गायब है तथा ऐसा जानकारी में आया कि उसकी हत्या करके कहीं आस पास जंगल में पटक दी। मुखबीरों से यह तथ्य भी सामने आया कि उसके भाई राजेश फौजी व महेन्द्र ने पैसे देकर उसकी हत्या करवाई है। उपरोक्त जानकारी को आगे बढाते हुए खूफिया रूप से राजेश फौजी के संपर्कों का पता लगाया गया तो जानकारी में आया कि राजेश फौजी के दिनेश कंजर व समीन मेव निवासी गिरवास से संपर्क हैं तथा उन दोनों से मिलकर मुन्ना उर्फ मुनेश की हत्या करवाई है। दिनेश कंजर अपने साथ एक बावरिया जाति की सुमन नाम की महिला को अपने साथ रखता है। दिनेश कंजर द्वारा सुमन के साथ मिलकर व समीन को शामिल कर सुमन के पति बुधराम बावरिया निवासी सालपुरी की हत्या 4 साल पहले की थी तथा हत्या करने के उपरान्त दिनेश सुमन को अपनी पत्नी की तरह रखने लग गया था। इसके बाद सुमन व दिनेश जगह बदल बदल कर रहने लग गये।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि उपरोक्त सूचनाओं के आधार थानाधिकारी पुलिस थाना खैरथल द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर अलवर अजय कुमार यादव के साथ सूचनाओं को साझा कर प्रकरण की जांच करते हुए मामला हत्या का पाये जाने पर थाना सदर पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान संदिग्ध आरोपी दिनेश कंजर, समीन मेव व महेन्द्र गुर्जर को थानाधिकारी थाना खैरथल की मदद से पूछताछ करने के लिए थाने पर लाया गया तथा वारदातों का खुलासा होने पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री प्रकाश ने बताया कि **मुल्जिमानों से पूछताछ में सामने आया कि** दिनेश कंजर, समीन मेव व सुमन बावरिया ग्राम गिरवास थाना खैरथल के रहने वाले हैं तथा सुमन का शादी से पहले ही दिनेश उर्फ टिन्नू कंजर के साथ प्रेम प्रसंग तथा शारीरिक संबंध था। दिनेश व सुमन ने सुमन के पति बुधराम को रास्ते से हटाने के लिए दिनेश अपने साथ समीन के साथ मिलकर सुमन के

पति बुधराम की हत्या कर दी तथा 15—20 दिन बाद ही सुमन ने दिनेश के साथ भागकर कोर्ट मैरीज करके दिनेश के साथ रहने लग गई।

पुछताछ पर यह तथ्य भी सामने आया कि राजेश पुत्र रतनलाल जाति गुर्जर निवासी नांगल संतोकडा थाना खैरथल जिला अलवर जो वर्तमान मे सेना में कार्यरत है राजेश अपने दो भाई महेन्द्र व मृतक मुन्ना उर्फ मुनेश की हत्या करवाकर इनकी जमीन जायदाद को हड़पना चाहता था। इस कारण राजेश ने अपने भाई मुन्ना उर्फ मुनेश की हत्या करवाने के लिये दिनेश उर्फ टिन्नु पुत्र श्यामू जाति कंजर उम्र 26 साल निवासी गिरवास थाना खैरथल जिला अलवर व समीन पुत्र शहजोर जाति मेव उम्र 30 साल निवासी गिरवास थाना खैरथल जिला अलवर से 50 हजार रूपये की सुपारी देकर हत्या करने की बातचीत कर अपने दूसरे भाई महेन्द्र व अपने रिश्तेदार पप्पू उर्फ किशोर को इस काम हेतु विश्वास में लेकर मुन्ना उर्फ मुनेश को महेन्द्र व उसके रिश्तेदार पप्पू उर्फ किशोर के साथ सिरमौली की पहाडी पर ले जाकर समीन व दिनेश कंजर, महेन्द्र व पप्पु उर्फ किशोर ने मुन्ना उर्फ मुनेश की हत्या कर लाश को पहाड़ में डालकर चले गये। सुपारी किलर दिनेश व समीन द्वारा बताया कि राजेश फौजी अपने दूसरे भाई महेन्द्र को भी सुपारी देकर हत्या करवाना चाहता था। जिसकी भी बातचीत हमसे राजेश ने कर ली थी।

उन्होंने बताया कि दिनेश कंजर व समीन ने जिला अलवर में थाना ईलाका मालाखेड़ा में ट्रेन से काटकर हत्या करने की एक वारदात बताई। थाना तिजारा ईलाके में नट बस्ती के पास में एक व्यक्ति की हत्या करना कबूल किया। साथ ही साथ थाना खैरथल व किशनगढबास ईलाके में भी हत्या की वारदात करना कबूल किया है। जिनकी सत्यता के बारे में अभियुक्तों से अनुसंधान जारी है तथा संबंधित थानाधिकारियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरणों में गहनता से अनुसंधान के निर्देश दिये हैं। इनके अलावा दोनों अभियुक्तों द्वारा ट्रांसफॉर्मर चोरी, टटलूबाजी व अन्य चोरियां करना भी स्वीकार किया है। लूट की वारदात करते समय गंभीर चोट अथवा हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं। मुलजिमों ने आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं करना कबुल किया है।

राही/सन्तरा/570/2017

नोटः— उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

एटीएम हैंग कर रूपये निकालने का आरोपी गिरफ्तार

जयपुर 3 अगस्त। भरतपुर के थाना डीग ने गांव बहताना में एटीएम हैंग कर रूपये निकालने के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिल टांक ने आज जानकारी देते हुए बताया कि 31 जुलाई 2017 को गांव बहताना थाना डीग निवासी अर्जुन पुत्र बुद्धा जाति माली द्वारा नई सडक कस्वा डीग पर स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में अपना एटीएम कार्ड डालकर एक हजार रूपये निकालने चाहे तो पैसे नही निकलने पर प्रार्थी बाहर चला गया तो एटीएम के अन्दर पूर्व से ही एक लडके द्वारा मशीन का बटन दबाकर धोखाधडी पूर्वक चोरी से एक हजार रूपये निकाल लेने का एक मामला थाने पर पंजीबद्ध किया गया था।

टांक ने बताया कि श्री श्रवण पाठक उ0नि0 द्वारा अनुसंधान करने पर उक्त मामले के आरोपी राशिद पुत्र सत्तार जाति मेव निवासी बल्देव वास थाना खोह को गिरफतार कर आरोपी से गहनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है।

अवैध हथियार सहित पुलिस पकड में
1 कट्टा मय 3 कारतूस बरामद

जयपुर 3 अगस्त। जिले में अवैध हथियारों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय 3 जिन्दा कारतूस जप्त कर 1 ब्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

थाना सेवर श्री नौहवतसिंह स0उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त के दौरान राधानगर थाना सेवर से जगवीर पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी हबीपुर थाना सेवर हाल राधानगर थाना सेवर को 1 अवैध कट्टा 315 बोर मय 3 जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार कर मुकदमा आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

राही/सन्तरा/571/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

कोटा शहर के 93 मोस्ट वांटेण्ड क्रिमिनल की गिरफ्तारी के लिये
जिला पुलिस अधीक्षक ने की ईनाम की घोषणा

जयपुर 3 अगस्त। पुलिस अधीक्षक कोटा शहर श्री अंशुमन भोमिया ने कोटा शहर के प्रत्येक थाने से 10–10 प्रमुख वांछित अपराधी (10 मोस्ट वांटेण्ड क्रिमिनल) को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी की एक कार्य योजना तैयार की है। उन्होंने कोटा शहर के 93 मोस्ट वांटेण्ड क्रिमिनल की गिरफ्तारी के लिये एक–एक हजार रुपये की ईनाम राशि की घोषणा भी है।

श्री भोमिया ने कोटा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत गम्भीर प्रकृति के अपराधी, जो काफी लम्बे समय से फरार (वांछित) चल रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की एक कार्य योजना बनाई है। शहर के कुल चिहिन्त 168 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से 77 अपराधियों पर पूर्व से ईनाम की घोषणा की हुई है।

राजस्थान पुलिस रेग्यूलेशन नियम 1965 की धारा 4.18 मे ं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोस्ट वांटेण्ड क्रिमिनलस पर ईनाम राशि की घोषणा की गई है, जो कोई व्यक्ति सूची में अंकित अपराधियों को बंदी बनाने या बंदी करवाने या उनके द्वारा बंदीकरण के विरोध किये जाने पर विधिसंगत आवश्यक शक्ति का प्रयोग कर बंदी बनायेगा या बंदी कराने के लिये सही सूचना देगा या बंदी करेगा, या करायेगा उसे राशि का नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा एवम् सूचना

देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा। पुरस्कार वितरण के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर का निर्णय अंतिम होगा।

राही/सन्तरा/570/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।